(e) Does not arise.

(f) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

3026 **श्री राम सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार होने की सूचना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है तथा उनमें से कितने अधिकारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई उपक्रम नहीं है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच, अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है । तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी अधिकारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं ।

Setting up of Delimitation Commission

3027. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the status of the proposal to set up a Delimitation Commission; and

(b) whether this proposal has been shelved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) and (b) The question of appointment of a Delimitation Commission will arise only after the Constitution (Seventy-first) Amendment Bill, 1990 which seeks to remove the existing Constitutional embargo on fresh delimitation becomes an Act.

International Conference of Lawyers

3028. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a two day "International Conference of Lawyers on Changing Scenario of Human Rights" was organised at New Delhi in recent past;

(b) if so, the details thereof together with suggestions made therein;

(c) whether Government propose to take some action to implement these suggestions; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir. The Conference was organised on the 20th and 21st February, 1993 at New Delhi by the Indian Association of Lawyers.

(b) The suggestions made at the Conference have not been forwarded to the Government for its consideration.

(c) and (d) Do not arise.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना

3029. **श्री सोम पाल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित करने के मामले पर क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है; और